

प्ररूप एम.पी.एम.व्ही.आर. 31 (सी.एफ.एल.डी.)

[नियम 51 (1) देखिए]

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने की प्रज्ञापना और खो गए/नष्ट हुए/फटे हुए/विरूपित हुए प्रमाण-पत्र के स्थान पर उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिये आवेदन-पत्र। प्रति,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन मेरा मोटरयान जिसका रजिस्ट्रीकरण चिह्न.....है, का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गया/नष्ट हो गया/फट गया/विरूपित हो गया.....

मैं, एतद्वारा घोषित करता हूँ कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है उक्त उपयुक्तता प्रमाण-पत्र अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन न तो निलंबित किया गया है या न ही रद्द किया गया है। और मैंने साथ में फीस के रूपए.....रसीद क्रमांक.....बुक क्रमांक.....तारीखद्वारा जमा कर दिये हैं तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करता हूँ।

पता

.....

तारीख

.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी